

फोन/Phone: 91-22-6656 5656

ई-मेल/Email: manager.hr@mumbaiport.gov.in

वेबसाईट/Website: www.mumbaiport.gov.in



मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग

पोर्ट भवन, दूसरा माला

शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,

मुंबई - 400 001.

General Administration
Department,

Port House, 2nd floor,

S.V. Marg, Ballard Estate,

MUMBAI - 400 001.

No. GAD/P/RECT-Sr.Dy.CMO/ 4181

4th December 2024

Recruitment Notice

**The Chairpersons
All Major Port Authorities**

Sir/Madam,

Sub: Filling up the post of Sr. Deputy Chief Medical Officer (Medicine) in the pay scale of Rs.80000-220000 by absorption through Composite method in Mumbai Port Authority- Reg.

1. The post of Sr. Deputy Chief Medical Officer (Medicine) in Mumbai Port Authority is vacant from 17.10.2023. The post is to be filled by **absorption through composite method** from officers of Major Ports, fulfilling the eligibility criteria as mentioned at **Annexure I**.
2. The selection is by merit for which overall grading in the APARs should not be below "Very Good".
3. **Applications are invited from eligible and willing officers** of all the Major Port Authorities possessing the prescribed qualifications and experience as mentioned at **Annexure I**. The application shall be submitted through '**Online Application Portal (OAP)**' of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (website <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in>) from **9.12.2024 to 22.1.2025**. No application submitted other than OAP will be accepted.
4. The candidate has to submit the hard-copy of the application form uploaded in OAP alongwith requisite documents to his administrative Port for onward forwarding to MbPA.
5. The administrative Ports are required to forward the applications of the candidates superscribing "**Application for the post of Sr. Deputy Chief Medical Officer (Medicine) in Mumbai Port Authority**" **on or before 6.2.2025** alongwith the following documents:

- (i) *certified copies of APARs for the last 5 years (2018-19 to 2022-23), duly attested by an officer not below the rank of Dy. HOD on each of the pages;*

- (ii) *a statement showing year-wise availability of APARs and grading duly signed by the HOD/Secretary. If APAR for a particular year during the last 5 years is not available, "No Report Certificate" may be furnished, **along with APARs of the preceding years;***
- (iii) *Attested photocopies of all certificates and proof of educational qualification, present and past work experience in the respective post and pay scale.*
- (iv) *No objection certificate from the respective Port.*
- (v) *Undertaking of the applicant that he will not withdraw his candidature, if selected by Services Selection Committee;*
- (vi) *Administrative clearance of the concerned port (**Annexure II**)*
- (vii) *Vigilance report is to be furnished in the prescribed format (**Annexure III**).*
- (viii) *If any major or minor penalty has been imposed on the applicant during the last 10 years, the disciplinary case leading to such penalty along with necessary documents may be sent alongwith the application.*

6. As per the Ministry's circular No.A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021, in case of receipt of advance copy of application from any candidate, his candidature will not be considered **if his application is not received through proper channel from the Port within 15 days** of the last date of receipt of applications. Therefore, Major Ports are requested to forward the applications with complete set of enclosures on or before **6.2.2025. Applications received after 6.2.2025 will not be considered.**


7. While forwarding the application, the Major Ports are to enclose all relevant documents at a time. No piecemeal/part forwarding will be considered.

8. The crucial date for eligibility criteria will be the last date of closing of applications on OAP, i.e. **22.1.2025** in terms of Ministry of Ports, Shipping and Waterways' circular No.A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021.

9. As per the Ministry's guidelines dated 11.8.2021 regarding filling up the Dy. HoD level posts in Major Port Authorities, Port official who withdraws his candidature for the post after his selection by the Services Selection Committee, will be liable for debarment from future selection to Dy. HoD level posts in all Major Port Authorities for a period of two years.

10. Incomplete applications or applications received after due date will not be considered.

Yours faithfully,


(G. S. Rathod)
MANAGER (HR)

Encl: As above

COPY TO:

- 1) **The Secretary to the Government of India,
Ministry of Ports, Shipping & Waterways,
New Delhi for information.**
Soft copy of the circular is already forwarded
on email address :
pravin.s@nic.in and web-ship@gov.in.

(Kind Attn: Shri P. K. Roy,
Director - PHRD)

- 2) **Chief Medical Officer (I/C)** for information and circulation amongst
eligible officers of the Department.
- 3) **Jt. Director (Planning & Research)** for uploading on MbPA website
(by email)

Medical Department

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (in years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruits will apply in the case of promotion/absorption/deputation	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (whether by direct recruitment or by promotion/absorption/deputation)	In case of promotion/absorption/deputation, grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	Sr.Dy. Chief Medical Officer	8	Class-I	16000-400-20800	Selection	45	<p>Essential:-</p> <p>(i) MBBS degree from a recognised university</p> <p>(ii) A post graduate medical degree in the specified speciality from a recognised university</p> <p>(iii) Post qualification experience of 10 years in a hospital, in the relevant field of specialisation.</p>	<p>(a) No</p> <p>(b) Yes</p> <p>(c) No</p>	N.A.	<p>By absorption through composite method failing which</p> <p>by deputation from other Government organisations and failing both</p> <p>by direct recruitment.</p>	<p>For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or holding the post of Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent Specialist post in Medical Deptt. in the scale of pay of Rs.13000-18250 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent Specialist posts in Medical Deptt. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs.10750-16750 and Rs.13000-18250 in Specialist cadre of Medical Deptt. in a Major Port Trust will be eligible.</p> <p>For deputation,</p>	<p>One post each will be operated in the faculty as under:</p> <p>(i) Medicine (General Medicine or Pediatrics or Cardiology)</p> <p>(ii) Surgery (General Surgery or ENT or Ophthalmology or Orthopedic)</p> <p>(iii) Obst & Gynec</p> <p>(iv) Pathology and Bacteriology</p> <p>(v) Anaesthesia</p> <p>(vi) Radiology</p> <p>Two posts would be for administration of</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Officer holding analogous posts or holding posts of Dy. Chief Medical Officer (Specialist) and equivalent Specialist posts in the scale of pay of Rs.13000-18250 in Medical Deptt. in a Govt./Semi Govt./PSUs	hospital department. The Chairman may at any time change the faculty/ function in which the post is to be operated
											or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The Selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below 'Very Good'.	considering the hospital. requirements.

ANNEXURE II

Certificate to be given by Head of Department of

Shri/Smt. _____

Designation _____

1. It is certified that the particulars furnished by the officer are correct.
2. It is certified that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from Vigilance and Administrative angle.
3. His/Her integrity is certified.
4. It is certified that no major/minor penalties have been imposed on the applicant during the last 10 years. If any, kindly indicate details thereof.
5. Attested copies of ACRs for the last five years (1.4.2018 to 31.3.2023) are enclosed.
6. It is certified that the incumbent meets the requisite eligibility criteria w.r.t. educational qualification and experience as specified in the Annexure I of the circular for absorption through composite method.

SIGNATURE OF THE
HEAD OF DEPARTMENT WITH SEAL

MUMBAI PORT AUTHORITY

Annexure III
Format III

Particulars of the officer for whom Vigilance Comments/Status has been sought

1	Name of Officer (in full)	:	
2	Father's name	:	
3	Date of Birth	:	
4	Date of Retirement	:	
5	Date of entry into service	:	
6	Service to which the officer belongs wherever applicable	:	
7	Revised Payscale	:	
8	Whether Annual Property Return (APR) has been submitted in time	:	Yes / No
9	Date of submission of APR	:	

10 Positions held including whether the officer has functioned as a CVO in part time or additional charge capacity (During the ten preceding years)

Sl. No.	Organization (Name in full)	Designation and Place of posting	Administrative/ Nodal Ministry/ Deptt.	From	To

11	Whether any punishment was awarded to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of the penalty. (*)	:	
12	Is any disciplinary / criminal proceedings or Chargesheet pending against the officer as on date (If so, details to be furnished – including reference number if any of the commission)	:	
13	Is any action contemplated against the officer as on date (If so details to be furnished) (*)	:	
14	Whether any complaint with vigilance angle pending against the officer as on date (If yes, details to be furnished)	:	

Date:

(Signature of Head of Department)

15	Whether the officer has been placed on the "Agreed List" or "List of Officers of Doubtful Integrity". (If yes details to be given)	:	
16	Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 years and if so, with what result (*)	:	

The applied post being Selection post at the level of Head of Department, the officer is Clear/not clear from vigilance angle as per the guidelines of DoPT/CVC issued from time to time.

Date :

CHIEF VIGILANCE OFFICER

(*) If vigilance clearance had been obtained from the Ministry/CVC in the past, the information may be provided for the period thereafter.

फोन/Phone: 91-22-6656 5656

ई-मेल/Email: manager.hr@mumbaiport.gov.in

वेबसाइट/Website: www.mumbaiport.gov.in



मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग

पोर्ट भवन, दूसरा माला

शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,

मुंबई - 400 001.

General Administration
Department,

Port House, 2nd floor,

S.V. Marg, Ballard Estate,

MUMBAI - 400 001.

सं.सा.प्र.वि/पी/भर्ती-व.उप.मु.चि.अ./ 4181

4 दिसंबर 2024

भर्ती सूचना

अध्यक्ष

सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/ महोदया,

विषय: मुंबई पत्तन प्राधिकरण में संयुक्त पदधति से आमेलन द्वारा रु.80000-220000 के वेतनमान में वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (औषधि) के पद को भरना-संबंधी.

1. मुंबई पत्तन प्राधिकरण में वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (औषधि) का पद दि. 17.10.2023 से रिक्त है. यह पद **अनुलग्नक- I** में यथा उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवाले, महापत्तनों के अधिकारियों से **संयुक्त पदधति के जरिए आमेलन द्वारा** भरा जाना है.
2. चयन योग्यता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग (श्रेणीकरण) "द्वेरी गुड" से कम नहीं होनी चाहिए.
3. **अनुलग्नक- I** में यथा उल्लिखित निर्धारित अर्हतायें तथा अनुभव धारण करने वाले सभी महापत्तन प्राधिकरणों के पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन **9.12.2024 से 22.1.2025** तक पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट (<http://onlinevacancy.shipmin.nic.in>) के "**ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)**" के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है. ओएपी के अलावा प्रस्तुत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
4. उम्मीदवार को ओएपी में अपलोड किए गए आवेदन प्रपत्र की हार्ड कॉपी अपने प्रशासनिक पत्तन को प्रस्तुत करनी होगी ताकि वे उसे मुंबई पत्तन प्राधिकरण को आगे अग्रेषित कर सकें.
5. प्रशासनिक पत्तनों को उम्मीदवारों के आवेदन निम्नलिखित कागजातों सहित उनके उपर "**मुंबई पत्तन प्राधिकरण में वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (औषधि) पद के लिए आवेदन**" लिखने के बाद **6.2.2025** को अथवा उसके पूर्व अग्रेषित करने होंगे:

- (i) पिछले 5 वर्षों की (2018-19 से 2022-23) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ, उप विभाग प्रमुख स्तर के नीचे न हो ऐसे अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करके;
- (ii) वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) दर्शानेवाला विवरण विभाग प्रमुख अथवा सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष का वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध न हो, तो उसके बारे में "रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र" पूर्ववर्ती वर्षों के वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत करे;
- (iii) शैक्षिक अर्हता के सभी प्रमाणपत्रों तथा प्रमाणों तथा संबंधित पद तथा वेतनमान में वर्तमान तथा पिछले कार्य अनुभव की सत्यापित फोटो प्रतियाँ.
- (iv) संबंधित पत्तन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र.
- (v) आवेदक से लिया गया वचननामा कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा उसका चयन किया गया तो वह उसकी उम्मीदवारी वापस नहीं लेगा;
- (vi) संबंधित पत्तन से प्रशासनिक अनापत्ति प्रमाणपत्र (अनुलग्नक II).
- (vii) निर्धारित फॉर्मेट (अनुलग्नक III) में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी है.
- (viii) यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई छोटा या बड़ा दण्ड लगाया गया हो तो ऐसे दण्ड की ओर ले जाने वाले अनुशासनिक मामले के साथ आवश्यक कागजातों को आवेदन सहित भेजा जाए.

6. मंत्रालय के परिपत्र संख्या.A-29018/4/2081/PE-I दिनांक 11.8.2021 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी उम्मीदवार से आवेदन की अग्रिम प्रति की प्राप्ति के मामले में, यदि उसका आवेदन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर उचित माध्यम के जरिए पत्तन से प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी उम्मीदवारी का विचार नहीं किया जाएगा. अतः महापत्तनों से अनुरोध है कि वे आवेदनोंको संलग्नकों के संपूर्ण से सेट सहित **6.2.2025** को या उसके पहले अग्रेषित करे. **6.2.2025 के बाद प्राप्त हुए आवेदनों का विचार नहीं किया जाएगा.**


7. आवेदन को अग्रेषित करते समय, महापत्तनों को एक ही समय पर सभी संगत दस्तावेजों को संलग्न करना जरूरी है. आंशिक/ टुकड़ों में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

8. पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के परिपत्र संख्या.A-29018/4/2081/PE-I दिनांक 11.8.2021 के अनुसार ओएपी में आवेदनो की समापन की अंतिम तिथि, अर्थात् **22.1.2025** पात्रता मानदंडो की निर्णायक तिथि होगी.

9. महापत्तन प्राधिकरणों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में मंत्रालय के दिनांक 11.8.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार जो पत्तन अधिकारी सेवा चयन समिति द्वारा उनका चयन होने के बाद अपनी उम्मीदवारी को वापस लेंगे, उनका दो वर्षों के अवधि के लिए सभी महापत्तन प्राधिकरणों के उप विभाग प्रमुख के स्तर के पदों पर भविष्य में चयन के लिए रोक लगाने के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे.

10. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुए आवेदनों तथा अपूर्ण आवेदनों का विचार नहीं किया जायेगा.

भवदीय,


गि. सिं. रामेश
प्रबंधक
(मानव संसाधन)

संलग्न: यथोक्त.

प्रतिलिपि:

1) सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत परिवहन
और जलमार्ग मंत्रालय,
नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित
परिपत्र की सॉफ्ट कॉपी पहले ही ईमेल पता:
pravin.s@nic.in and [web-ship@gov.in.](mailto:web-ship@gov.in)
पर अग्रेषित की गई है.

(ध्यानाकर्षण: श्री पी. के. राँय,
निदेशक, पीएचआरडी)

- 2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचना तथा विभाग के पात्र अधिकारियों को परिचालित करने हेतु प्रेषित.
- 3) संयुक्त निदेशक (योजना एवं अनुसंधान) को वेबसाईट पर डालने के लिए प्रेषित (ई-मेल से)

अनुलग्नक I

क्र.सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान(रूपये)	पद चयन है या गैरचयन	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें	सीधी भर्ती के लिए (क)आयु (ख) शैक्षणिक योग्यतायें (ग) अनुभव पदोन्नति/विलयन प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती की प्रक्रिया (सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वेतनमान जहाँ से ऐसा किया जाना है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	वरिष्ठ उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	8	श्रेणी- I	16000-400-20800	चयन	45	<p>अनिवार्य :</p> <p>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की एम.बी.बी.एस. पदवी</p> <p>(ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से निर्दिष्ट विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर चिकित्सा पदवी</p> <p>(iii) संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्र में किसी अस्पताल में 10 वर्षों का पद योग्य अनुभव</p>	ए) नहीं बी) हाँ सी) नहीं	लागू नहीं	संयुक्त पदधति से विलयन द्वारा अन्यथा अन्य सरकारी संगठनसे प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा	संयुक्त पदधति से विलयन द्वारा समान पदधारी अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) का पदधारी और चिकित्सा विभाग में समान विशेषज्ञ पदधारी जिसने किसी महापत्तन न्यास में 13000-18250 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा चिकित्सा विभाग में उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) ओर समान विशेषज्ञता पद वाला व्यक्ति जिसने उसी ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी महापत्तन न्यास के चिकित्सा विभाग में विशेषज्ञता संवर्ग में 10750-16750 और 13000-18250 रु. के वेतनमान में 7 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा करने वाला व्यक्ति उक्त पद के लिए पात्र होगा. प्रतिनियुक्ति के लिए समान पदधारी अधिकारी अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) और सरकारी/अर्धसरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वायत्त निकायों में चिकित्सा विभाग में 13000-18250 के वेतनमान में तीन वर्षों की नियमित सेवा	फैकल्टी में हरेक पद निम्नानुसार प्रचलित किया जाएगा. (i) औषधि (सामान्य औषधि अथवा बाल चिकित्सा अथवा कार्डिओलॉजी) (ii) शल्य चिकित्सा (सामान्य शल्य चिकित्सा अथवा नाक, कान, गला अथवा नेत्र विशेषज्ञ अथवा विकलांग विज्ञान) (iii). प्रसूती विज्ञान और रूठ्टी रोग विशेषज्ञ (iv). रोग विज्ञान और जीवाणु विज्ञान (v) भूल तज्ञ/निश्चेतक vi)विकिरण चिकित्सा अस्पताल विभाग के प्रशासन हेतु दो पद होंगे. अध्यक्षजी किसी भी समय फैंकल्टी को बदल सकते हैं

क्र.सं	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान(रूपये)	पद चयन है या गैरचयन	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यतायें	सीधी भर्ती के लिए (क)आयु (ख) शैक्षणिक योग्यतायें (ग) अनुभव पदोन्नति/विलयन प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा अवधि (वर्षों में)	भर्ती की प्रक्रिया (सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नति/विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में वेतनमान जहाँ से ऐसा किया जाना है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											करनेवाले समतुल्य विशेषज्ञ उक्त पद हेतु पात्र होंगे. चयन गुणवत्ता के आधार पर होगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में सम्पूर्ण सेवा काल में बेंच मार्क "बहुत अच्छा" से कम नहीं होना चाहिए.	जिसमें अस्पताल की आवश्यकताओं का विचार करते हुए पद प्रचालित किये जाने हैं.

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती -----

पद -----

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.
3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.
4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.
5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2018 से 31.3.2023) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.
6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पध्दति से भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख का हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
MUMBAI PORT AUTHORITY

अधिकारी का विवरण, जिनके सतर्कता टिप्पणियाँ/स्थिति मांगी गई है.

1.	अधिकारी का नाम (संपूर्ण)	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	जन्म तिथि	:	
4.	सेवा निवृत्ति की तिथि	:	
5.	सेवा प्रवेश की तिथि	:	
6.	अधिकारी के सेवा से संबंधित वर्ग/वर्ष, संवर्ग आदि जो भी लागू है	:	
7.	संशोधित वेतनमान	:	
8.	क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत की है	:	हाँ/नहीं
9.	वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि	:	

10. धारण किए गए पद में अधिकारी ने अंशकालिक या अतिरिक्त प्रभार में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य किया है यह शामिल है (पिछले दस वर्षों के दौरान) :

अ.क्र.	संगठन (संपूर्ण नाम)	पदनाम एवं नियुक्ति का स्थान	संबंधित प्रशासनिक/प्रधान मंत्रालय/विभाग	द्वारा	तक

11.	क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी, और यदि हाँ, तो आरोप लगाने की तिथि और दण्ड का विवरण (*).	:	
12.	क्या आज की तिथि को अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि हाँ, तो आयोग द्वारा यदि कोई संदर्भ संख्या तो तिथि के अनुसार दी गई हो उसके साथ विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
13.	क्या अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
14.	क्या सतर्कता की दृष्टि से अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई शिकारयत लंबित है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	

तिथि :

(विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

15.	यदि अधिकारी को "सहमत सूची" अथवा "संदिग्ध इमानदारी के अधिकारियों की सूची" पर रखा गया (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए)	:	
16.	यदि सतर्कता की दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में अधिकारी के खिलाफ दुराचार का आरोप की जाँच की गयी थी. यदि हाँ तो उसका परिणाम क्या है. (*)	:	

आवेदित पद विभाग प्रमुख के स्तर का चयन पद होने के कारण, उक्त अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, सतर्कता दृष्टि से निर्बाध है/ निर्बाध नहीं है.

तिथि :

(मुख्य सतर्कता अधिकारी)

(*) यदि अतीत में मंत्रालय/सीवीसी से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधिके लिए जानकारी प्रदान की जा सकती है.